उत्तराखण्ड शासन

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
के अन्तर्गत

17 मैनुअल्स का विवरण
(सोलह्वा संस्करण)

अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025 तक

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

विषय सूची (INDEX)

मैनुअल	विषय	पृष्ठ संख्या
मैनुअल–01	संगठन की विशिष्टिया, कृत्य एवं कर्तव्य।	3 – 12
मैनुअल–02	अधिकारियो और कर्मचारियो की शक्तिया एवं कर्तव्य।	13 – 30
मैनुअल–03	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	31 – 36
मैनुअल–04	कृत्यो के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।	37 – 40
मैनुअल–05	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियो द्वारा अपने कृत्यो के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	41 – 52
मैनुअल–06	ऐसे दस्तावेजो के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है प्रवर्गो का विवरण।	53 – 88
मैनुअल–07	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यो से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	89 – 92
मैनुअल–08	ऐसे बोर्डो, परिषद, समितियों और अन्य निकायो के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भाग रूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डो, परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठको के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।	93 – 96
मैनुअल–09	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका।	97 – 112
मैनुअल–10	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमो में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।	113 – 118
मैनुअल–11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविताणो पर रिर्पोटों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	119 – 132
मैनुअल–12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।	133 – 578
मैनुअल–13	अपने द्वारा अनुदत रियायतो, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओ की विशिष्टयां।	579 – 620
मैनुअल–14	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	621 – 624
मैनुअल–15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओ की विशिष्टिया जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।	625 – 628
मैनुअल–16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।	629 – 632
मैनुअल–17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय।	633 – 642

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य
(मैनुअल–1)

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

विभाग की पृष्ठभूमि

समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित सरकारी समाचार की जांच के लिए 1933 में एक प्रचार विभाग की स्थापना की गई। जिसमें प्रेस (आपातकालीन शक्तियां) अधिनियम 1931 को भी प्रशस्त किया गया। गृह (पुलिस) विभाग के एक अनुभाग जो समाचार पत्र शाखा के नाम से जाना जाता था, को इसमें जोड़ दिए जाने के बाद इस विभाग का 1937 में 'लोक सूचना विभाग' के रूप में पुनः नामकरण किया गया। विश्व युद्ध शुरू होने पर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमण्डल मे त्याग पत्र देने के बाद सूचना विभाग का इस्तेमाल युद्ध का प्रचार करने के लिए किया गया। देश के स्वतंत्र होने के बाद इसके संगठन एवं गतिविधियों में परिवर्तन आया, जबकि कार्य क्षेत्र के लिए 1947 में सूचना निदेशालय इसमें सम्मिलित किया गया। क्षेत्र प्रचार अधिकारियों, जिन्हें 1949 में जिला सूचना अधिकारियों के रूप में पदस्थापित किया गया, की नियुक्तियां की गई। सामुदायिक श्रवण कार्यक्रम जिसका वर्ष 1939 में ग्राम्य विकास विभाग में प्रादुर्भाव हुआ था और जो आकाशवाणी से प्रसारित पंचायत घर कार्यक्रम के श्रवण हेतु सुविधाएं प्रदान करता था को भी इस विभाग में 1947 में स्थानान्तरित किया गया। प्रकाशन कार्य पर बेहतर नियन्त्रण की दृष्टि से 1 अप्रैल 1951 को विभाग में प्रकाशन ब्यूरों की स्थापना की गई। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत के साथ क्षेत्र प्रचार इकाइयों को अप्रैल 1953 में योजना विभाग में स्थानान्तरित किया गया और जिला सूचना अधिकारियों को सहायक योजना अधिकारियों के रूप में पदस्थापित किया गया। यह व्यवस्था, तथापि असंतोषजनक पाई गई और इसलिए ये इकाइयां नवम्बर 1954 में सूचना निदेशालय में स्थानान्तरित कर दी गई। 1 अप्रैल 1953 को निदेशालय को स्थाई रूप से स्थापित किया गया था।

हिन्दी सलाहकार समिति जो मूलत : 1947 में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सरकार को पुरस्कारों हेतु प्राप्त पुस्तकों के चयन में परामर्श देने के लिए गठित की गई थी, का 1955–56 में पुनर्गठन किया गया और इसे हिन्दी समिति का नाम दिया गया। हिन्दी समिति का कार्य इस विभाग को जुलाई 16, 1960 से स्थानान्तरित किया गया। अनुदान प्राप्त से सहायता प्राप्त संगीत संस्थाओं उ.प्र. संगीत नाट्य भारती (जो अब उ.प्र. संगीत नाटक अकादमी के नाम से जानी जाती है) आदि जो 6 मार्च 1961 को सांस्कृतिक मामलों एवं विज्ञान अनुसंधान विभाग से सूचना विभाग को स्थानान्तरित किए गए थे के विषय 27 फरवरी 1967 को उस विभाग को पुनः स्थानान्तरित कर दिए गए।

09 नवम्बर 2000 को उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरुप 28 मार्च 2001 को ''उत्तरांचल सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग'' की स्थापना की गई।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग प्रदेश सरकार एवं जनता के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु सेतु की भूमिका निभाता है। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं तथा निर्णयों के माध्यम से जो जनहितकारी कार्य सम्पन्न किये जाते है उनकी जानकारी विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण दायित्व सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग का है। लोक तंत्र में आवश्यक है कि जनता को उनके द्वारा चुनी हुई सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी संचार माध्यमों से मिलती रहे। इसी उद्देश्य से यह विभाग प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देश एवं प्रदेश के विभिन्न समाचार पत्र–पत्रिकाओं, समाचार एजेसियों, आकाशवाणी, दूरदर्शन के साथ ही विभिन्न टेलीविजन चैनलों को उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त फिल्म, प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य तथा विभिन्न प्रचारपरक प्रकाशनों के माध्यम से सरकार की नीतियों, संकल्पों, प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों की विस्तृत एवं प्रमाणिक जानकारी जन–जन तक पहुंचाने का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।

महानिदेशालय की मुख्य गतिविधियां निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत आती हैं:–

1. सूचना ब्यूरो
2. प्रेस प्रभाग
3. प्रशासन प्रभाग
4. विज्ञापन (प्रिंट मीडिया) प्रभाग

5. इलैक्टानिक मीडिया
6. सोशल मीडिया
7. फिल्म विकास परिषद
8. प्रदर्शनी प्रभाग
9. क्षेत्र प्रचार प्रभाग
10. प्रकाशन प्रभाग
11. गीत एवं नाट्य योजना
12. फोटो फिल्म शाखा
13. निरीक्षा शाखा
14. राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली
15. मीडिया सेंटर हल्द्वानी, नैनीताल

सूचना ब्यूरो

सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, उपलब्धियों तथा घोषणाओं आदि की जानकारी विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा जनता तक पहुँचाने का कार्य सूचना ब्यूरो के माध्यम से किया जाता है। इस निमित माननीय मुख्यमंत्री प्रचार यूनिट, राजभवन सूचना परिसर एवं विधान सभा स्थित मीडिया सेंटर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्रीगणों के कार्यक्रमों से संबंधित प्रेस–विज्ञप्तियों आदि के साथ ही निदेशालय स्तर से विभिन्न महत्वपूर्ण विभागीय बैठकों में भाग लेकर विभागों से संबंधित प्रगति विवरणों को प्रेस विज्ञप्ति का रूप देकर जनसामान्य की जानकारी हेतु मीडिया को उपलब्ध कराया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री सहित प्रमुख विशिष्ट व्यक्तियों के प्रदेश भम्रण के दौरान व्यापक प्रचार–प्रसार के दृष्टिगत शाखा द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों को कार्यक्रमों में कवरेज आदि के लिये प्रवेश पत्र एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं शाखा के माध्यम से कराई जाती है। समाचारों के त्वरित प्रेषण हेतु विभाग में इंटरनेट तथा ई–मेल की व्यवस्था की गई है। दिल्ली राज्य सूचना केन्द्र के माध्यम से राज्य सरकार की विकास योजनाओं/उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार राष्ट्रीय मीडिया द्वारा कराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा अन्य विशेष अवसरों पर इस शाखा द्वारा विशेष लेख भी जारी किए जाते हैं।

प्रेस प्रभाग

शासन से संवाद स्थापित करने के लिए श्रमजीवी एवं मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सुविधाओं तथा सहूलियतों की व्यवस्था प्रेस प्रभाग द्वारा की जाती है। इसके तहत मंत्रीगणों तथा उच्चाधिकारियों आदि से सुविधाजनक रूप से सम्पर्क बनाने के लिए विभिन्न समाचार–पत्रों के प्रतिनिधियों को सचिवालय प्रवेश–पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आपदाग्रस्त पत्रकारों तथा उनके आश्रितों के लिए ''उत्तरांचल पत्रकार कल्याण कोश'' की स्थापना की गई है, जिसके अन्तर्गत अस्वस्थ, दुर्घटनाग्रस्त एवं अन्य मानवीय आधार पर पूर्णकालिक श्रमजीवी एवं मान्यता प्राप्त पत्रकारों को नियमानुसार आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान रखा गया है। इसी योजना के अन्तर्गत अपनी लेखनी से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम पत्रकारों को पेंशन स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी लेखनी से योगदान देने वालें दो पत्रकारों को मासिक पेंशन का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पत्रकारों तथा जिला प्रशासन के मध्य सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने तथा जनपद स्तर पर पत्रकारों की समस्याओं एवं उत्पीड़न के प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्थाई समितियां गठित की गई है, जो समय–समय पर बैठक आयोजित कर पत्र–प्रतिनिधियों की शिकायतों पर विचार करती है। जनपदों में किये जा रहे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन/कार्य प्रगति के प्रचार–प्रसार हेतु शासन के द्वारा

प्रतिमाह जिलाधिकारियों को प्रेस वार्ता आयोजित काने के निर्देश दिये गये हैं। जिनकी सूचना निरन्तर प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त वरिश्ठ अधिकारियों द्वारा समय–समय पर वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश स्तर पर की जाने वाली विभागीय समीक्षा बैठकों के दौरान लिये गये निर्णयों का प्रचार–प्रसार जनपद स्तर पर जिला सूचना अधिकारियों के माध्यम से कराया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश स्तर पर संचालित विकास योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु समय–समय पर प्रेस प्रतिनिधियों के भ्रमण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते है तथा उन्हे इस कार्य हेतु सभी प्रकार की सुविधाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। विभाग द्वारा प्रेस क्लबो की स्थापना हेतु समुचित सहयोग प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों की त्वरित जानकारी हेतु विभिन्न समाचार एजेन्सियों की सेवायें ली जा रही हैं। प्रदेश स्तर पर मीडिया सलाहकार समिति का भी गठन किया गया है।

विज्ञापन प्रभाग (प्रिंट मीडिया)

प्रभाग द्वारा सरकार की नीतियों, उपलब्धियों विकास कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से प्रमुख राष्ट्रीय पर्वों एवं अन्य विशेष अवसरों पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्र–पत्रिकाओं को सजावटी विज्ञापनों के साथ–साथ समय–समय पर विभिन्न शासकीय विभागों से नियमित रूप से प्राप्त होने वाले वर्गीकृत विज्ञापन जारी किये जाते हैं।

इलैक्ट्रानिक मीडिया प्रभाग

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का प्रचार–प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जाता है। इलैक्ट्रांनिक मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु लघु विज्ञापन फिल्मों का निर्माण कराया जाता है। विभाग द्वारा निर्माण करायी जाने वाली विभिन्न लघु विज्ञापन फिल्मों का प्रचार–प्रसार इलैक्ट्रांनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है।

सोशल मीडिया प्रभाग

प्रभाग द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं जन–जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है। विभाग द्वारा विभागीय फेसबुक पेज, यू–ट्यूब एवं ट्विटर के साथ ही विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध न्यूज पोर्टल / वेबसाइटों एवं डीएवीपी में सूचीबद्ध वेबसाइटों के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाता है।

उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद

राज्य की सांस्कृतिक विरासत तथा पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से वर्तमान में उत्तराखण्ड फिल्म नीति 2024 लागू की गई है। उक्त नीति के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न स्थानों पर फिल्म शूटिंग की अनुमति **''सिंगल विण्डो सिस्टम''** पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रदान की जा रही है। फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने हेतु तथा उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय भाषाओं / बोलियों में बनने वाली फिल्मों को ₹ 2 करोड़ तक या फिल्म लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो। हिन्दी तथा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में लिखित भाषा की फिल्मों को उत्तराखण्ड राज्य में व्यय की गई धनराशि का 30 प्रतिशत या ₹ 3 करोड़ जो भी कम हो अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

क्षेत्र प्रचार प्रभाग

शासन के विकासपरक कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को जन–जन तक पहुँचाने तथा विभिन्न प्रचार इकाईयों के माध्यम से जनता से सीधा सम्पर्क बनाये रखने के उद्देश्य से जनपदों में जिला सूचना कार्यालय स्थापित हैं। ये कार्यालय जनपद स्तर पर जिलाधिकारी एवं अन्य प्रमुख अधिकारियों तथा मीडिया प्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर जनपदों में हो रहे विकास कार्यो, शासन की योजनाओं तथा नीतियों आदि के प्रचार–प्रसार हेतु अपने स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करने तथा जनपदों में प्रचार गोष्ठियाँ आदि का आयोजन करने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही विभिन्न जनपदों में स्थित सूचना केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

क्षेत्र प्रचार प्रभाग

शासन के विकासपरक कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को जन–जन तक पहुँचाने तथा विभिन्न प्रचार इकाईयों के माध्यम से जनता से सीधा सम्पर्क बनाये रखने के उद्देश्य से जनपदों में जिला सूचना कार्यालय स्थापित हैं। ये कार्यालय जनपद स्तर पर जिलाधिकारी एवं अन्य प्रमुख अधिकारियों तथा मीडिया प्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर जनपदों में हो रहे विकास कार्यो, शासन की योजनाओं तथा नीतियों आदि के प्रचार–प्रसार हेतु अपने स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करने तथा जनपदों में प्रचार गोष्ठियाँ आदि का आयोजन करने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही विभिन्न जनपदों में स्थित सूचना केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

प्रकाशन प्रभाग

किसी भी राज्य में सूचना विभाग का प्रकाशन प्रभाग काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रकाशन प्रभाग मुद्रित, साहित्य के माध्यम से आम जनता को शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं तथा उपलब्धियों की समुचित जानकारी प्रदान करता है। इस निमित्त सावधि प्रकाशनों के साथ ही स्थायी महत्व के विचारपरक प्रकाशन भी प्रकाशित कराये जाते हैं। इनका वितरण विशिष्ट व्यक्तियों, जन प्रतिनिधियों, मीडिया तथा जन सामान्य तथा ग्राम प्रधानों तक कराया जाता है।

गीत एवं नाट्य योजना

पर्वतीय क्षेत्र के जिन दुरूह, दुर्गम एवं जनजातीय अंचलों में समाचार–पत्र, पत्रिकाओं, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन आदि संचार माध्यमों से सरकार के क्रियाकलापों की जानकारी नहीं पहुँच सकती थी, अब वहां नवीन उत्तरांचल राज्य के गठनोपरान्त, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग पर्वतीय राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी गीत एवं नाट्य योजना को सुदृढ़ कर सरकार की नीतियों, निर्णयों एवं उपलब्धियों के प्रति जनजागरण का महत्वपूर्ण कार्य सशक्त एवं प्रभावी ढंग से सम्पादित कर रहा है। इस योजना से एक ओर जहां अपनी लोक संस्कृति को सहेजने और संजोने का गुरूत्तर कार्य हो रहा है। वहीं स्थानीय प्रतिभाओं के विकसित होने की राह प्रशस्त है। स्थानीय लोगो को रोजगार एवं जीवन यापन के तरीकों में भी परिवर्तन आये है। इसी कड़ी में इस योजना के अन्तर्गत सभी जनपदों से राज्य स्तर पर पंजीकृत लोक गीत, लोक नृत्य, कठपुतली, कब्वाली, भजन, नाटक, नुक्कड़ नाट्य दलों को पंजीकृत किया गया है, जिनसे शासन की नीतियों निणर्यों और उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार का कार्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से कराया जाता है ।

प्रदर्शनी प्रभाग

उत्तराखण्ड सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग का प्रदर्शनी प्रभाग, शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई लोकोन्मुख नीतियों, निर्णयों से जन साधारण का साक्षात्कार कराता है। प्रभाग द्वारा विशेष अवसरों पर सदभावना संदेशों के सूचना पट, होर्डिंग तथा प्रदर्शनी लगाकर प्रचार प्रसार कराया जाता है।

फोटो फिल्म शाखा

जनसंचार माध्यमों में दृश्य माध्यमों का विकास आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण आयाम है। आधुनिक संचार आवश्यकताओं के अनुरूप फोटो–फिल्म शाखा, शासन की योजनाओं का छाया चित्रों के माध्यम से प्रचार करती है। इस प्रभाग द्वारा प्रदेश के उच्चपदाधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का फोटो कवरेज कराकर समाचार पत्र/पत्रिकाओं को निःशुल्क प्रकाशनार्थ हेतु उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ अवश्यकता के अनुरूप महापुरूषों, विशिष्ट व्यक्तियों के बड़े चित्र भी तैयार कर उपलब्ध कराये जाते है। मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा समय–समय पर छायाचित्रों की मांग की आपूर्ति भी शाखा द्वारा की जाती है।

शाखा द्वारा शासन की नीतियों, उपलब्धियों एवं विकास कार्यो की जानकारी जन–जन तक पहुचाने हेतु लघु फिल्मों का निर्माण भी कराया जाता है। समय–समय पर महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का टी.वी. कवरेज शाखा द्वारा कराकर दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित कराये जाते हैं। शाखा द्वारा प्रदर्शनी हेतु बड़े चित्रों का निर्माण कार्य भी कराये जाते है।

निरीक्षा शाखा

सूचना सम्बन्धी कार्यो का एक महत्वपूर्ण प्रभाग निरीक्षा शाखा है। इस प्रभाग द्वारा प्रदेश एवं दिल्ली से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी समाचार–पत्र/पत्रिकाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र/पत्रिकाओं की निरीक्षा की जाती है एवं उनमें प्रकाशित महत्वपूर्ण समाचारों तथा जन समस्याओं से संबंधित समाचारों/सुझावों को तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय स्तर के पत्र/पत्रिकाओं की निरीक्षा इस प्रभाग द्वारा प्रतिदिन की जाती है। विभिन्न विभागों से संबंधित लेख, समीक्षा एवं महत्वपूर्ण समाचारों की पत्रावली प्रतिदिन तैयार कर प्रदेश के मुख्य पदाधिकारियों के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जाती है, जिसका संदर्भ के रूप में यथा आवश्यकता उपयोग होता है। समाचार पत्र/पत्रिकाओं को विज्ञापन एवं प्रेस मान्यता सूची में शामिल करने के लिए उनकी पात्रता पर विचार करने हेतु भाषा, स्वर नीति आकार व नियमित प्रकाशन आदि की आख्या भी इसी शाखा द्वारा दी जाती है। इसके अतिरिक्त त्वरित कार्यवाही से सम्बन्धित समाचार कतरनों को सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली

नई दिल्ली में स्थापित राज्य सूचना केन्द्र प्रदेश के लिए दिल्ली में जन सम्पर्क का कार्य करता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश शासन की योजनाओं एवं उपलब्धियों को जन साधारण एवं गणमान्य व्यक्तियों तक पहुंचाने का दायित्व भी दिल्ली सूचना केन्द्र का है। प्रदेश की विकास योजनाओं से सम्बन्धित प्रेस विज्ञिप्तियां इस केन्द्र द्वारा दिल्ली के समाचार–पत्रों, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के प्रयोगार्थ उपलब्ध कराई जाती है। इस केन्द्र के द्वारा दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया से समन्वय रखकर प्रचार–प्रसार का कार्य कराया जा रहा है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के देहरादून स्थित मुख्यालय तथा दिल्ली स्थित राज्य सूचना केन्द्र में स्थापित फैक्स व ई–मेल के माध्यम से विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियां दिल्ली स्थित संचार माध्यमों में तत्परतापूर्वक प्रकाशनार्थ सुलभ करायी जाती है। उत्तराखण्ड के बारे में जिज्ञासा रखने वालों के लिए भी सूचना केन्द्र में पर्याप्त प्रचार–साहित्य तथा उपयोगी संदर्भ–सामग्री उपलब्ध कराने के साथ–साथ उसके आधुनिकीकरण की कार्यवाही की गई है।

मीडिया सेंटर हल्द्वानी, नैनीताल

प्रदेश सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों को जन–साधारण एवं गणमान्य व्यक्तियों तक पहुंचाने एवं विकास योजनाओं से सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्तियां स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय समाचार पत्रों को उपलब्ध करायी जाती है। मीडिया प्रतिनिधियों से समन्वय रखकर प्रचार–प्रसार एवं मीडिया प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है।

संगठनात्मक संरचना

(अ) शासन स्तरीय

श्रेणी	पद नाम	वेतन लेवल एवं वेतनमान (₹)	सृजित पद	भरे पद	रिक्त पद
क	महानिदेशक	आई.ए.एस.	1	1	–
क	निदेशक	वरिष्ठ पी.सी.एस.	1	–	1
		योग	**2**	**1**	**1**

ब) महानिदेशालय स्तरीय

क	अपर निदेशक	लेवल–13, ₹118500–214100	1	1	–
क	संयुक्त निदेशक	लेवल–12, ₹78800–209200	2	2	–
क	उप निदेशक	लेवल–11, ₹67700–208700	4	2	2
क	वरिष्ठ वित्त अधिकारी	लेवल–11, ₹67700–208700	1	1	–
ख	सहायक निदेशक	लेवल–10, ₹56100–177500	7	3	4
ख	सहायक निदेशक (तकनीकी)	लेवल–10, ₹56100–177500	1	–	1
ख	सम्पादक	लेवल–10, ₹56100–177500	1	–	1
ख	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	लेवल–10, ₹56100–177500	4	4	–
ख	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	लेवल–8, ₹47600–151100	6	6	–
ख	सूचना अधिकारी	लेवल–7, ₹44900–142400	18*	9*	9
ख	फोटो/फिल्म अधिकारी	लेवल–7, ₹44900–142400	1	1	–
ख	व्यवस्थाधिकारी	लेवल–7, ₹44900–142400	1	1	–
ख	फीचर लेखक	लेवल–7, ₹44900–142400	1	–	1
ग	वैयक्तिक अधिकारी	लेवल–7, ₹44900–142400	1	–	1
ग	प्रशासनिक अधिकारी	लेवल–7, ₹44900–142400	6	4	2
ग	लाइब्रेरियन	लेवल–6, ₹35400–112400	1	–	1
ग	लेखाकार	लेवल–6, ₹35400–112400	3	–	3
ग	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	लेवल–6, ₹35400–112400	3	–	3
ग	उप सम्पादक	लेवल–6, ₹35400–112400	1	–	1
ग	फोटोग्राफर	लेवल–6, ₹35400–112400	5	4	1
ग	अनुवादक	लेवल–6, ₹35400–112400	5	2	3
ग	कैमरामैन	लेवल–6, ₹35400–112400	4	3	1
ग	प्रधान सहायक	लेवल–6, ₹35400–112400	13	13	–
ग	वैयक्तिक सहायक	लेवल–5, ₹29200–92300	4	4	–
ग	सहायक लेखाकार	लेवल–5, ₹29200–92300	2	2	–
ग	संवीक्षक	लेवल–5, ₹29200–92300	4	2	2
ग	वरिष्ठ सहायक	लेवल–5, ₹29200–92300	21	5	16
ग	कनिष्ठ कैमरामैन	लेवल–4, ₹25500–81100	4	0	4
ग	कनिष्ठ सहायक	लेवल–3, ₹21700–69100	11	9	2
ग	वाहन चालक	लेवल–3, ₹21700–69100	9	4	5
घ	टैक्निकल असिस्टैन्ट	लेवल–1, ₹18000–56900	16	5	11
घ	अनुसेवक/चपरासी	लेवल–1, ₹18000–56900	10	3	7
		योग	**173**	**86**	**81**

*सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी का 01 पद आस्थगित रखते हुए विशेष कार्याधिकारी 01 निःसंवर्गीय पद सृजित किया गया है। जिसे सूचना अधिकारी के भरे पदो के साथ दर्शाया गया है।

(स) जनपद स्तरीय

श्रेणी	पद नाम	वेतन लेवल एवं वेतनमान (₹)	सृजित पद	भरे पद	रिक्त पद
ख	जिला सूचना अधिकारी	लेवल–7, ₹44900–142400	13	13	–
ग	अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी	लेवल–5, ₹29200–92300	13	8	5
ग	सहायक लेखाकार	लेवल–5, ₹29200–92300	13	11	2
ग	संरक्षक/डाटा एंट्री आपरेटर	लेवल–2, ₹19900–63200	8	3	5
ग	संरक्षक/डाटा एंट्री आपरेटर (आऊटसोर्सिंग)	लेवल–2, ₹19900–63200	9	5	4
ग	कनिष्ठ सहायक	लेवल–3, ₹21700–69100	13	9	4
ग	वाहन चालक	लेवल–3, ₹21700–69100	13	5	8
घ	टैक्निकल सहायक	लेवल–1, ₹18000–56900	13	3	10
घ	अनुसेवक/चपरासी	लेवल–1, ₹18000–56900	13	2	11
		योग	**108**	**59**	**49**

(द) मीडिया सेंटर, हल्द्वानी

श्रेणी	पद नाम	वेतन लेवल एवं वेतनमान (₹)	सृजित पद	भरे पद	रिक्त पद
ग	अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी	लेवल–5, ₹29200–92300	1	–	1
ग	कनिष्ठ सहायक–कम–डाटा एंट्री आपरेटर (आऊटसोर्सिंग)	वेतनमान ₹5200–20200, ग्रेड वेतन ₹1900	1	1	–
घ	अनुसेवक (आऊटसोर्सिंग)	वेतनमान ₹4440–7440, ग्रेड वे तन ₹1800	2	2	–
		योग	**4**	**3**	**1**

सूचना मुख्यालय तथा विभिन्न जनपदों में स्थित कार्यालय के पते

कार्यालय का नाम	पता
सूचना एवं लोक सम्पर्क महानिदेशालय,	सूचना भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र,	वारदोलाई मार्ग, उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली
जिला सूचना कार्यालय, हरिद्वार	स्टेशन रोड, पुरानी कचहरी, हरिद्वार
जिला सूचना कार्यालय, रुद्रप्रयाग	बेलनी, रुद्रप्रयाग
जिला सूचना कार्यालय, उत्तरकाशी	गंगोत्री भवन कलैक्ट्रेट परिसर, उत्तरकाशी
जिला सूचना कार्यालय, चमोली	निकट जिला जज कोर्ट, गोपेश्वर
जिला सूचना कार्यालय, पौड़ी	जिला परिषद कार्यालय परिसर, पौड़ी
जिला सूचना कार्यालय, टिहरी गढ़वाल	नई टिहरी,
जिला सूचना कार्यालय, ऊधमसिंह नगर	कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, ऊधमसिंह नगर
जिला सूचना कार्यालय, नैनीताल	माल रोड, नैनीताल
जिला सूचना कार्यालय, अल्मोड़ा	माल रोड, अल्मोड़ा
जिला सूचना कार्यालय, पिथौरागढ़	निकट नगरपालिका, पिथौरागढ़
जिला सूचना कार्यालय, बागेश्वर	पंचायत भवन, स्टेशन रोड, बागेश्वर
जिला सूचना कार्यालय, चम्पावत	चम्पावत
जिला सूचना कार्यालय, देहरादून	123 गंगा विहार निकट रोडवेज वर्कशॉप हरिद्वार रोड़, देहरादून
सूचना केन्द्र, बदरीनाथ	बदरीनाथ, चमोली
सूचना केन्द्र, केदारनाथ	केदारनाथ, चमोली
सूचना केन्द्र, धारचूला	तहसील प्रांगण, धारचूला, पिथौरागढ़
सूचना केन्द्र, थल	थल, पिथौरागढ़
मीडिया सेंटर हल्द्वानी	तिकुनियां, नैनीताल रोड़, हल्द्वानी

कार्यालय के खुलने का समय : 10.00 बजे प्रातः

कार्यालय के बन्द होने का समय : 05.00 बजे सायं